

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 615/आर- 501/2021/ब-1/चार

भोपाल दिनांक 16 /07/2021

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी

विषय:- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधान सभा में उपस्थापन ।


- संदर्भ:-
1. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक- 577/आर-501/2021/ब-1/चार, भोपाल  
दिनांक 30 /06/2021
  2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक- 539/आर-915/2020/ब-1/चार, भोपाल  
दिनांक 18/06/2021

-000-

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित परिपत्र दिनांक 18/06/2021 के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के राज्यांश आहरण हेतु पृथक बजट लाईनों को प्रतीक प्रावधान से खोले जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इस हेतु निम्नानुसार Segment बजट लाईन में खोलने हेतु स्वीकृत किये गये हैं :-

- (1) 0704 - केन्द्र प्रवर्तित योजना- (सामान्य-राज्यांश)
- (2) 0705 - केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम-राज्यांश)
- (3) 0706 - केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम-राज्यांश)


वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक में उक्तानुसार बजट लाईन में बजट प्रस्ताव की प्रविष्टि करने का अनुरोध है।

  
(आईरीन सिंथिया जे.पी.)  
संचालक बजट  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 616 /501/2021/ब-1/चार  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 16 /07/2021

आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल को आई.एफ.एम.आई.एस.साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ।

  
16/7/21  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग